राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3004/2025

लक्ष्मी कुमारी

–अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुरं।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 04.06.2025
आदेश की दिनांक : 09.06.2025

अपीलार्थी की ओर से : **श्री दिलीप सिंह कुरका, अधिवक्ता**

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 24.3.2025 के पर प्रत्यर्थीगण द्वारा निर्णय नहीं लिया है, जिसमें उसके दमा रोग को देखते हुए किसी भी रिक्त पद के विरुद्ध उसके निवास के निकट अपीलार्थी की नियुक्ति के लिए उसके मामले पर विचार हेतु निवेदन किया गया था और यह भी निवेदन किया गया था कि उसका घरेलू हिंसा का मामला लंबित है और उसकी नियुक्ति उसके ससुराल के घर के पास है और वह अपने माता–पिता के साथ रह रही है और इस प्रकार वह वर्तमान नियुक्ति स्थान पर काम करने की स्थिति में नहीं है और इस प्रकार उसे उसके निवास स्थान के निकट नियुक्त किया जाना चाहिए ताकि वह अपने ससुराल वालों के किसी भी खतरे या दबाव के बिना सुचारू रूप से और स्वतंत्र रूप से काम कर सके, लेकिन अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा निर्णय नहीं लिया गया है। (अनुलग्नक–1) अपीलार्थी की नियुक्ति वर्ष 2010 में हुई थी और उसके बाद उसे 13.8.2015 के आदेश के तहत वर्तमान पदस्थापन स्थान पर नियुक्त किया गया। (अनुलग्नक–2) दिनांक 13.8.2015 के आदेश के अनुपालन में अपीलार्थी ने दिनांक 18.6.2015 को वर्तमान पदस्थापन स्थान अर्थात राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, बहज जिला डीग में कार्यभार ग्रहण कर लिया तथा तब से वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यरत है। (अनुलग्नक–3) अपीलार्थी 2015 से वर्तमान पदस्थापन स्थान पर काम कर रही है जो उसके निवास स्थान से बहुत दूर है तथा अपीलकर्ता का पदस्थापन स्थान उसके ससुराल के नजदीक है। अपीलार्थी

अस्थमा की मरीज है और उसका नियमित उपचार चल रहा है। अपीलार्थी के दो बच्चे भी हैं जिनकी उम्र लगभग 11 और 07 साल है और दोनों अपीलार्थी के साथ रह रहे हैं। अपीलार्थी ने 24.3.2025 को उपरोक्त सभी तथ्यों और समस्याओं को बताते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था, लेकिन अपीलकर्ता के अभ्यावेदन पर आज तक न तो विचार किया गया और न ही निर्णय लिया गया और उसे उसके आवासीय स्थान के निकट पदस्थापित नहीं किया गया।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 24.03.2025 का निस्तारण किया जावे एवं अभ्यावेदन में उल्लिखित किसी भी रिक्त पद पर नियमित वेतन और सभी लाभों के साथ उसके आवासीय स्थान के निकट अध्यापक ग्रेड III लेवल I, के पद पर नियुक्ति प्रदान करने के निर्देश दिए जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष प्रस्तुत अभ्यावेदन लम्बित है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 24.03.2025 जो प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के पास निस्तारण हेतु लम्बित है। प्रत्यर्थीगण के सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह उक्त लम्बित आशय का अभ्यावेदन का राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राहयता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य